रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-27/2016/165/22-2-2014-17(113)/2004
लखनऊ: दिनांक: 30 मार्च, 2016

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए **आदर्श कारागार, लखनऊ** की सिद्धदोष **महिला बन्दी रामकली (बन्दी संख्या-781) पत्नी श्री रघुवीर, निवासी ग्राम-पुवाया, थाना-अतरौली, जिला-हरदोई** जिन्हें **सत्र परीक्षण संख्या-5/1990** के अन्तर्गत भारतीय दण्ड विधान की **धारा-304बी, 498ए व 3/4 डी0पी0 एक्ट** के अधीन **दिनांक 31-05-1991** को मा0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदोई द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया था, की शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त महिला बन्दी द्वारा अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, **हरदोई** के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर महिला बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।2- यह आदेश क्रिमिनल रिट याचिका संख्या-48/2014 भारत संघ बनाम वी0 श्रीहरन उर्फ मुर्गन व अन्य में पारित मा0 उच्चतम न्यायालय,नई दिल्ली के आदेश दिनांक 23-07-2015 के प्रस्तर-7 के अन्तर्गत अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

करूणेश कुमार सिंह
अनु सचिव।

संख्या-165(1)/22-2-2014 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ। 2-जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई।3-पुलिस अधीक्षक, हरदोई।4-वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।
5-कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
6-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in